Regarding need to ensure return of money to people duped by fraudulent companies and societies in Deoria district, Uttar Pradesh-Laid

रमाशंकर राजभर **(सलेमपुर) :** मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी का कानून, 2019 (बैंकिंग ऑफ अनरेग्युलेटड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019) पारित करके ठग कंपनी एवं ठग सोसाइटी में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदको को 180 दिन में जमा राशि से दो से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था । लेकिन हमारे जिला देवरिया में लगभग 9 लाख ठगी पीड़ित लोग हैं, जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी पड़ी है जो बार-बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं करा रहे हैं, जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति बन गई है । इस कारण अनेक लोगो के आत्महत्या करने की खबरे भी आ रही है । अतः सरकार से अनुरोध है कि संसद में पारित कानून की गरिमा को बचाने के लिए अपने क्षेत्र व देश में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगाकर ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करवाए ।